

# Board of School Education Haryana, Bhiwani

## D.El.Ed. 1<sup>st</sup> Year ( Proforma-1)

### (For Internal Evaluation of School Internship Programme)

#### (PARTICULARS OF STUDENT TEACHER)

- ENROLMENT NO. ....**
1. D.El.Ed. Admission Year : .....
  2. Name of D.El.Ed. Institution : .....
  3. Name of Student Teacher : .....
  4. Father's Name : .....
  5. Date of Birth : .....
  6. Name of School Allotted : .....
  6. Duration of SIP-I: Block ....., District .....
  7. Percentage of Attendance : From ..... To .....

(Note : Minimum 90% attendance is mandatory)

#### (MENTOR'S EVALUATION)

Sr. No.	Topics	Total Marks	Marks Obtained
1	School Profile	10	
2	School Observation Report	15	
<b>TOTAL MARKS</b>		<b>25</b>	

Signature of Mentor

Name : .....

Designation : .....

(School Stamp)

#### [TEACHER EDUCATION INSTITUTE (TEI) FACULTY EVALUATION]

S.No.	Topics	Total Marks	Marks Obtained
1	School Profile	05	
2	School Observation Report	05	
3	Report of visit of Special type of School	05	
4	Textbook Analysis Report	10	
<b>TOTAL MARKS</b>		<b>25</b>	

Signature of TEI

Name : .....

Designation : .....

In charge PSTE

(Pre Service Teacher Educator)

## सामान्य दिशा-निर्देश

1. Mentor – The teacher from school where student-teachers is doing School Exposure Programme.
2. TEI Faculty – The Teacher Educator from Teacher Education Institute Where Student-teacher is enrolled.
3. विद्यालय इण्टर्नशिप कार्यक्रम कुल 04 सप्ताह का है।
4. मुख्य शिक्षक द्वारा अपने विद्यालय स्टाफ में से छात्र-अध्यापक द्वारा किए जाने वाले कार्यों की पर्यवेक्षण हेतु Mentor जिस द्वारा छात्र-अध्यापक का मूल्यांकन किया जाना है, की नियुक्ति की जानी है।
5. छात्र-अध्यापक का मूल्यांकन उसके द्वारा किए गए कार्यों व किए गए कार्यों के प्रलेख/दस्तावेज के आधार पर किया जाना है तथा प्रलेख/दस्तावेज छात्र-अध्यापक के संबंधित डी.एल.एड. संस्थान को भेजे जाने अनिवार्य है।
6. TEI Faculty के मुखिया द्वारा सम्बन्धित विषय के शिक्षक प्रशिक्षक (TEI Faculty) नियुक्त करते हुए Proforma भरवाया जाना है।
7. सभी सम्बन्धित डी.एल.एड. संस्थानों द्वारा अपने संस्थान के छात्र-अध्यापकों के केवल प्राप्त कुल अंकों की सूची बोर्ड कार्यालय को भेजी जानी है।
8. छात्र-अध्यापक द्वारा किए गए कार्यों से सम्बन्धित सभी प्रलेख/दस्तावेज सम्बन्धित डी.एल.एड. संस्थान द्वारा 06 मास तक सुरक्षित रखे जाने अनिवार्य है जिन्हें हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी द्वारा आवश्यकता अनुसार मांगा जा सकता है।
9. इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना है कि किसी भी अवस्था में विद्यालय इण्टर्नशिप कार्यक्रम प्रतिपुष्टि प्रपत्र हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी को नहीं भेजे जाने है। यह प्रतिपुष्टि प्रपत्र संबंधित डी.एल.एड. संस्थान (Teacher Education Institute) द्वारा अपने पास 02 वर्षों तक सुरक्षित रखे जाने अनिवार्य है।

# Board of School Education Haryana, Bhiwani

## D.El.Ed. 1<sup>st</sup> Year (Proforma-2)

(For External Evaluation of School Internship Programme)

### (PARTICULARS OF STUDENT TEACHER)

(To be filled by TEI)

Roll No. ....

1. D.El.Ed. Admission Year : .....
2. Name of D.El.Ed. Institution : .....
3. Name of Student Teacher : .....
4. Father's Name : .....
5. Enrolment No. : .....
6. Name of School Allotted : .....
6. Duration of SIP-I: Block ....., District .....
7. Percentage of Attendance : From ..... To .....

(Minimum 90% attendance is mandatory)

### (To be filled by External Practicum Examiner)

#### (EXTERNAL EVALUATION)

S. No.	Topics	Total Marks	Marks awarded by 1 <sup>st</sup> Practicum Examiner	Marks awarded by 2 <sup>nd</sup> Practicum Examiner	Total Marks Obtained	Aggregate of Total Marks Obtained
1	School Profile	10				
2	School Observation Report	10				
3	Report of visit of Special type of School	10				
4	Textbook Analysis Report	10				
5	Seminar presentation of above topics	10				
<b>TOTAL MARKS</b>		<b>50</b>				
<b>TOTAL MARKS (In Words)</b>						

Signature of 1<sup>st</sup> Practicum Examiner

Name : .....

Designation : .....

Address : .....

.....

.....

Mobile No. ....

Signature of 2<sup>nd</sup> Practicum Examiner

Name : .....

Designation : .....

Address : .....

.....

.....

Mobile No. ....

## सामान्य दिशा-निर्देश

1. External Evaluator – External Evaluator is to be appointed by the examining body.
2. छात्र-अध्यापक का मूल्यांकन उसके द्वारा किए गए कार्यों व उपलब्ध करवाए गए प्रलेखों/दस्तावेजों के आधार पर किया जाना है।
3. इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना है कि किसी भी अवस्था में विद्यालय इण्टर्नशिप कार्यक्रम प्रतिपुष्टि प्रपत्र हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी को नहीं भेजे जाने है। इन प्रतिपुष्टि प्रपत्रों को सरकारी संस्थान से नियुक्त Examiner अथवा वरिष्ठ Examiner द्वारा अपने पास 02 वर्षों तक सुरक्षित रखा जाना अनिवार्य है।
4. सभी सम्बन्धित सरकारी संस्थान से नियुक्त Examiner अथवा वरिष्ठ Examiner द्वारा छात्र-अध्यापकों के केवल प्राप्त कुल अंकों की सूची बोर्ड कार्यालय को भेजी जानी है।

# **Board of School Education Haryana, Bhiwani**

**D.El.Ed. 2<sup>nd</sup> Year**

**(For Internal Evaluation of School Internship Programme)  
(Proforma-II for Upper Primary School Mentor's Evaluation)**

**Phase-II (A)**

**(Particulars of Student-Teacher)**

1. D.El.Ed. Admission Year : .....
2. Name of D.El.Ed. Institution : .....
3. Registration No. Allotted by SCERT .....
4. Name of Student Teacher : .....
5. Father's Name : .....
6. Date of Birth : .....
7. Name of School Allotted : .....
8. Duration of SIP II (Phase-II) : Block : ..... District : .....  
From ..... To .....
9. Percentage of Attendance : .....

(Note : Minimum 90% attendance is mandatory)

**(To be filled by Upper Primary School Mentor)**

**(Senior Subject teacher will be mentor)**

Sr. No.	Topics	Total Marks	Marks Obtained		
1	Teaching competency of upper primary classes	20			
2	Lesson plan	Subject	Period/ Lessons Plans	15	
		Subject-1/Hindi/Urdu/ *	17		
		Subject-2*	17		
		Subject-3*	17		
3	Teaching learning material	05			
4	Peer observation record All above mentioned in each Subject 04 Lessons(12)	05			
5	Teacher observation record All above mentioned in each Subject 04 Lesson(12)	05			
6	Diagnostic test/Remedial Teaching/Teaching Learning Material (2 students at least)	05			
7	Portfolio preparation/preparing cumulative/anecdotal record of student(2 students at least)	05			
<b>TOTAL MARKS</b>		<b>60</b>			

\*Evaluate the lessons of concern subject by concern Subject teacher

Signature of Subject Teacher-1  
Name : .....

Signature of Mentor  
Designation .....  
(School Stamp)

Signature of Subject Teacher-2  
Name .....

Signature of Subject Teacher-3  
Name .....

## सामान्य दिशा-निर्देश

1. Mentor – The teacher from school where student-teachers is doing School Exposure Programme.
2. विद्यालय इण्टर्नशिप कार्यक्रम कुल 16 सप्ताह का है, जिसमें 07 सप्ताह का विद्यालय इण्टर्नशिप कार्यक्रम डी.एल.एड. द्वितीय वर्ष के प्रारम्भ में किया जाना है तथा 09 सप्ताह का विद्यालय इण्टर्नशिप कार्यक्रम द्वितीय वर्ष की परीक्षा से पहले पूर्ण किया जाना है। इसमें अवकाश के दिवसों को भी शामिल किया जाना है।
3. छात्र-अध्यापकों की विद्यालय इण्टर्नशिप कार्यक्रम में न्यूनतम 90% उपस्थिति अनिवार्य है।
4. मुख्य शिक्षक द्वारा अपने विद्यालय स्टाफ में से छात्र-अध्यापक द्वारा किए जाने वाले कार्यों की पर्यवेक्षण हेतु Mentor जिस द्वारा छात्र-अध्यापक का मूल्यांकन किया जाना है, की नियुक्ति की जानी है।
5. छात्र-अध्यापक का मूल्यांकन उसके द्वारा किए गए कार्यों व किए गए कार्यों के प्रलेख/दस्तावेज के आधार पर किया जाना है तथा प्रलेख/दस्तावेज छात्र-अध्यापक के संबंधित डी.एल.एड. संस्थान को भेजे जाने अनिवार्य है।
6. छात्र-अध्यापक द्वारा किए गए कार्यों से सम्बन्धित सभी प्रलेख/दस्तावेज सम्बन्धित डी.एल.एड. संस्थान द्वारा 06 मास तक सुरक्षित रखे जाने अनिवार्य है, जिन्हें हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी द्वारा आवश्यकता अनुसार मांगा जा सकता है।
7. इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना है कि किसी भी अवस्था में विद्यालय इण्टर्नशिप कार्यक्रम आन्तरिक व बाह्य मूल्यांकन प्रतिपुष्टि प्रपत्र हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी को नहीं भेजे जाने है। यह प्रतिपुष्टि प्रपत्र संबंधित डी.एल.एड. संस्थान (Teacher Education Institute) द्वारा अपने पास 02 वर्षों तक सुरक्षित रखे जाने अनिवार्य है।

# Board of School Education Haryana, Bhiwani

## **D.El.Ed. 2<sup>nd</sup> Year**

### **(For Internal Evaluation of School Internship Programme) ( Proforma-III for Teacher Education Institute (TEI) Faculty Evaluation) (Particulars of Student-Teacher)**

1. D.El.Ed. Admission Year : .....
2. Name of D.El.Ed. Institution : .....
3. Registration No. Allotted by SCERT : .....
4. Name of Student Teacher : .....
5. Father's Name : .....
6. Date of Birth : .....
7. Name of Primary School Allotted : .....
8. Name of Upper Primary School Allotted :.....  
Block ....., District .....
9. Duration of SIP II(Phase-I) in Primary School From.....To.....
10. Duration of SIP II (Phase-IIA) in Upper Primary School : From.....To.....
11. Duration of SIP II (Phase-IIB) : Fom.....To.....
9. Percentage of Attendance : .....

(Note : Minimum 90% attendance is mandatory)

#### **[To be filled by Teacher Education Institute (TEI) Faculty]**

S.No.	Topics	Total Marks	Marks Obtained
1	Action Research/Case study	15	
2	Community Survey*	15	
3	Reflective Journal/Portfolios/Presentation/Teaching learning materials	15	
4	Peer Observation/Teacher Observation Record	15	
5	Lesson Plans/Unit plans/Develop learning resources/Assessments Records*	40	
<b>TOTAL MARKS</b>		<b>100</b>	

\*With the help of concern subject Teacher-Educator

Signature of TEI

Name : .....

Designation : .....

In charge PSTE

(Pre Service Teacher Educator)

## सामान्य दिशा-निर्देश

1. TEI Faculty – The Teacher Educator from Teacher Education Institute Where Student-teacher is enrolled.
2. विद्यालय इण्टर्नशिप कार्यक्रम कुल 16 सप्ताह का है, जिसमें 07 सप्ताह का विद्यालय इण्टर्नशिप कार्यक्रम डी.एल.एड. द्वितीय वर्ष के प्रारम्भ में किया जाना है तथा 09 सप्ताह का विद्यालय इण्टर्नशिप कार्यक्रम द्वितीय वर्ष की परीक्षा से पहले पूर्ण किया जाना है। इसमें अवकाश के दिवसों को भी शामिल किया जाना है।
3. छात्र-अध्यापकों की विद्यालय इण्टर्नशिप कार्यक्रम में न्यूनतम 90% उपस्थिति अनिवार्य है। इस बात का ध्यान रखा जाए कि जिन छात्र-अध्यापकों की विद्यालय इण्टर्नशिप कार्यक्रम में 90% उपस्थिति पूर्ण नहीं होती है, उनके विद्यालय इण्टर्नशिप कार्यक्रम के अंक नहीं भेजे जाने हैं।
4. छात्र-अध्यापक का मूल्यांकन उसके द्वारा किए गए कार्यों व किए गए कार्यों के प्रलेख/दस्तावेज के आधार पर किया जाए तथा प्रलेख/दस्तावेज छात्र-अध्यापक के संबंधित डी.एल.एड. संस्थान को भेजे जाने अनिवार्य है।
5. TEI Faculty के मुखिया द्वारा सम्बन्धित विषय के शिक्षक प्रशिक्षक (TEI Faculty) नियुक्त करते हुए Proforma भरवाया जाना है।
6. सभी सम्बन्धित डी.एल.एड. संस्थानों द्वारा अपने संस्थान के छात्र-अध्यापकों के केवल प्राप्त कुल अंक बोर्ड कार्यालय को भेजे जाने हैं।
7. छात्र-अध्यापक द्वारा किए गए कार्यों से सम्बन्धित सभी प्रलेख/दस्तावेज सम्बन्धित डी.एल.एड. संस्थान द्वारा 06 मास तक सुरक्षित रखे जाने अनिवार्य है जिन्हें हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी द्वारा आवश्यकता अनुसार मांगा जा सकता है।
8. इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना है कि किसी भी अवस्था में विद्यालय इण्टर्नशिप कार्यक्रम आन्तरिक व बाह्य मूल्यांकन प्रतिपुष्टि प्रपत्र हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी को नहीं भेजे जाने हैं। यह प्रतिपुष्टि प्रपत्र संबंधित डी.एल.एड. संस्थान (Teacher Education Institute) द्वारा अपने पास 02 वर्षों तक सुरक्षित रखे जाने अनिवार्य है।